SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

छत्तीसगढ़ की कृषि सहकारी समितियों की ऋण वितरण व्यवस्था का अध्ययन

सिद्धेश्वरी सिन्हा, शोधार्थी, **विनय शर्मा,** (Ph.D.) शोध निर्देशक, **लखन चौधरी** (Ph.D.)
स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग एवं शोध केन्द्र
कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
सिद्धेश्वरी सिन्हा
विनय शर्मा (Ph.D.)
लखन चौधरी (Ph.D.)

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 24/04/2023
Revised on : -----
Accepted on : 01/05/2023
Plagiarism : 00% on 24/04/2023

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
Overall Similarity: **0%**
Date: Apr 24, 2023
Statistics: 13 words Plagiarized / 2813 Total words
Remarks: No similarity found, your document looks healthy.

शोध सार

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के प्रावधानों के अनुरूप सहकारिता लोगो के सामाजिक–आर्थिक विकास कर शोषण से समितियों के सदस्यों को मुक्त करता है। सहकारी संस्थाओ का मुख्य आधार सहकारिता है, यह अलग–अलग क्षेत्रो में जनहित के कार्य करता है। सहकारिता का मूल रूप जनसरोकार एवं जनहित का कार्य करना है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। कृषक गाँवो में निवास करते है, सहकारी समितियां किसानों की आय और खेती की उत्पादन से जुड़ी हुई है। कृषको की सामाजिक स्थिति तभी मजबूत हो सकती है जब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। किसानो की आर्थिक स्थिति को ऊँचा उठाने और शोषण से बचाने हेतु उन्हे सहकारी समितियो द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कुल सात जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित सहकारी समितियां है। इन संस्थाओ के माध्यम सें राज्य के कृषको को कृषि ऋण, खाद, बीज, खाधान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, कीटनाशक दवाई का वितरण, डेयरी, बुनकर, उपभोक्ता आवास, मत्स्य पालन, शिक्षा प्रशिक्षण, खनिज और उद्योग के गतिविधियों आदि को संचालित करता है। कृषि कार्य हेतु और उद्यामिता कार्य के लिए सहकारिता कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। कृषकों की आर्थिक सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति और कृषि की निरन्तर विकास को ध्यान रखते हुए वित्तीय साधनो के आधार पर ऋण नीति को निर्धारित कर बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कृषकों को कृषि कार्य, उत्पादन कार्य का कुल 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें से 35 प्रतिशत अल्पावधि व 15 प्रतिशत मध्यावधि ऋण होता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में कमजोर कामगारों और

किसानो को मिलने वाली अनुदान राशि व ऋण वितरण व्यवस्था का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द

सहकारी समितियां, श्रमप्रधान, उपभोक्ता आवास, किसान क्रेडिट कार्ड.

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ कृषि श्रमप्रधान राज्य है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो आर्थिक विकास व निवेश के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल धान है, प्रदेश को भारत का धान का कटोरा काहा जाता है। यहाँ धान के साथ मक्का, कोदो–कुटकी, बाजरा, तुअर, दलिया कुल्थी, तिलहन, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी इत्यादि फसलो का उत्पादन किया जाता है। कृषि से सम्बंधित गतिविधियाँ राज्य की आय का प्रमुख स्त्रोत है। यहां की कुल दो तिहाई से अधिक जनसंख्या के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है इसलिए यहां खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। राज्य में कृषि की प्रधानता होने के बाद भी कृषि व्यवस्था पिछड़ेपन को दर्शाती है, यहाँ की अधिकांश कृषि कार्य कृषक परम्परागत रूप से करते है। कृषि की उत्पादन व्यवस्था कमजोर व पिछड़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण किसानो की ऋणग्रस्तता है।

वाणिज्य और उद्योग की तरह कृषि कार्य भी एक व्यवसाय है और प्रत्येक व्यवसाय के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सफल कृषि के लिए सस्ती व पर्याप्त वित्त की आवश्यकता पड़ती है। कृषक की आय इतनी कम होती है, की वह अपनी भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए व कृषि योग्य भूमि खरीदने के लिए धन की पूर्ति नही कर पाता, इसके लिए उसे ऋण का सहारा लेना पड़ता है। सहकारी संस्थाएं राज्य में कृषि के आर्थिक गतिविधियो में कार्यरत है जो कृषको के हित के लिए अपना अनुदान दे रही है, जैसे–बीज, उर्वरक, कृषि रसायनो का वितरण, ऋण का वितरण, कृषि यंत्र, भण्डारण व्यवस्था, कृषि उत्पादों का वितरण और प्रसंस्करण आदि।

सहकारिता कृषको को अच्छी विशेषता वाले कृषि उपज उत्पादन करने में सक्षम बनाती है तथा सहकारी समितियों के माध्यम सें किसानो को खेती हेतु उचित अनुदान प्रदान किया जाता है। यह कृषि विपणन लाभकारी मूल्य भी प्रदान करता है। सहकारी संस्थाए कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ कृषको के कृषि फसलो व बहुमूल्य उत्पाद जैसे गन्ना, दूध, फल, सब्जियाँ, कपास का उचित मूल्य प्रदान कर किसानो को लाभ अर्जित करने की सुविधा प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के प्रावधानों के अनुरूप सहकारिता लोगो के सामाजिक–आर्थिक विकास कर शोषण से उन्हे मुक्त करता है। सहकारी संस्थाओ का मुख्य आधार सहकारिता है, यह अलग–अलग क्षेत्रो में जनहित के कार्य करता है। राज्य में किसानो को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यह एक विश्वसनीय संस्था है, जो कृषक, मजदूर, बुनकर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गो, मछुवारो, दुग्ध उत्पादको, एवं महिलाओ के आर्थिक, सामाजिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

प्रदेश में कुल सात जिला सहकारी केन्द्रीय बैक मर्यादित सहकारी समितियां है। इन संस्थाओ के माध्यम सें राज्य के कृषको को कृषि ऋण, खाद, बीज, खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, कीटनाशक दवाई का वितरण, डेयरी, बुनकर, उपभोक्ता आवास, मत्स्य पालन, शिक्षा प्रशिक्षण, खनिज और उधोग के गतिविधियों आदि को संचालित करता है। किसानों के उत्थान और उनके वित्त सम्बन्धी समस्याओं को दूर करता है।

कृषिकों की आर्थिक, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति और कृषि की निरन्तर विकास को ध्यान रखते हुए वित्तीय साधनो के आधार पर ऋण नीति को निर्धारित कर बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। कृषकों को कृषि कार्य उत्पादन कार्य का कुल 50 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से 35 प्रतिशत अल्पावधि व 15 प्रतिशत मध्यावधि ऋण होता है। कृषि व्यवसाय के लिए सहकारी संस्था द्वारा तीन प्रकार की ऋण प्रदान करता है।

शोध साहित्य समीक्षा

1. **सोंधिया राखीः** "कृषि विकास में संलग्न बैंको की वित्त व्यवस्था तथा कार्यप्रणाली पर अध्ययन रीवा जिले के विशेष संदर्भ में" कृषि विकास में कृषि साख और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए अपनाए जा रहे बहुउद्देशीय पहलुओ में वाणिज्य और सरकारी बैंको सहित ग्रामीण बैको की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसान ऋणग्रस्त होने के कारण कृषि से संबंधित कार्यो को ठीक से नही कर पाते थे, परन्तु अब उन्हे साख सुविधा प्राप्त होने से उनकी समस्याओ का समाधान कर दिया है। बैंक से किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध हो जाते है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाया जा सके। उत्पादन क्षमता बढ़ने से कृषको की आय में वृद्धि होगी। इनकी शोध प्रविधि प्राथामिक आँकड़ें साक्षात्कार प्रणाली से किया गया है, जबकि द्वितीयक आँकड़े विभिन्न प्रकाशित पुस्तके शोध–पत्र, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि से एकत्र किये गये है।
2. **सोमनाथे पद्माः** "कृषि क्षेत्र के विकास में छ.ग. शासन का योगदान" शोध अध्ययन के अंतर्गत कृषि फसल, मत्सय पालन, पशुपालन, उधमिका का राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान एवं शासन द्वारा कृषि विकास योजनाओ का कृषि क्षेत्र की भविष्य के सम्भावनाओ का विश्लेषण किया गया है। किसानो को कृषि व पशुपालन से संबंधित योजनाओ से मिलने वाले सहयोग से उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार हुआ है। खेती में विकास से उत्पादकता मे वृद्धि हुई है। इनका शोध पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ो पर आधारित है।
3. **पाडेण्य शशिः** "स्वयं सहायता समूह, लघु ऋण एवं महिला सशक्तिकरण" यह शोध प्रविधि सक्षात्कार एवं अवलोकन पद्धति द्वारा तथ्यो का संकलन है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है, जिसके माध्यम से महिलाओ को एक नई पहचान मिली है। यह समूह महिलाओ को आपस में जोड़े रखती है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार महिलाओ को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
4. **सरदाना रेनू एवं चौधरी मोनिषाः** "भारत में सहकारी बैंकिग की क्रियाशीलता" भारत में सहकारी बैंको के क्रियाकलापों का आर्थिक विश्लेषण करना तथा सहकारी बैंको की समस्याओ का आंकलन करना व बैको की व्यवहारिक उपादेयता की जाँच करना है। कृषको को साख सुविधओ में होने वाले अभाव, पूँजी बाजार वित्तीय संस्थाओ ने वित्त प्रदान करने मे कृषि की उपेक्षा है। प्राथामिक कृषि साख समिति, राज्य सहकारी बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक इन संस्थाओ में कषि साख की समस्याओ का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हमने प्राथमिक समंक व द्वितीयक समंक संकलित किया गया है। निर्देशित सहकारी बैको के आलेख व पांडुलिपियों का प्रयोग किया है।
5. **दूबे आशीषः** "छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में मत्स्य पालन व्यवसाय की भूमिका" छत्तीसगढ़ राज्य में मछली उत्पादन व्यवसाय का विकास के लिए विभिन्न योजनाओ का संचालन किया गया है। मछली पालन ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार का साधन है।

उद्देश्य

1. कृषि सहकारिता के माध्यम से कृषको के जीवन स्तर में होने वाले सुधार का अध्ययन करना।
2. उद्यमिता ऋण से कामगार को मिलने वाली रोजगार का अध्ययन करना।
3. अल्पकालीन ऋण कृषि, मत्स्य, पशुपालन उद्यमिता का अध्ययन करना।

1. अल्पावधि कृषि ऋण

अल्पकालीन ऋण किसानो को खेती के दैनिक कार्य जैसे–बीज, उर्वरक, निंदाई, सिंचाई, पौध संरक्षण, बोवाई आदि के लिए दिया जाने वाला ऋण है। फसल ऋण या अल्पकालीन कृषि ऋण का ब्याज दर शुन्य प्रतिशत पर सहकारी बैंको के प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण सहकारी साख

समिति द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित कराया जाता है। खरीफ एवं रबी दो फसल होते है, खरीफ फसल 01 अप्रैल से 30 सितम्बर, रबी फसल 01 अक्टूबर से 31 मार्च, तक समय सीमांकित है।

अन्य फसल जैसे गन्ना 01 अक्टूबर से 31 मार्च, केला पपीता 01 सितम्बर से 31 जनवरी, हाईब्रीड टमाटर, 01 अक्टूबर से 31 मार्च ग्रीष्मकालीन धान, 01 दिसम्बर से 15 अप्रैल हल्दी अदरक, 01 मई से 31 जुलाई तक ब्याज मुक्त ऋण की समय निर्धारित की गयी है। अल्पकालीन ऋण के और भी क्षेत्र है, बहुफसल उगाने पर, मिश्रित फसल उगाने पर, साग सब्जियो हेतु, संयुक्त परिवार के कृषको को, पावर ऑफ एटर्नी एवं सर्वाकार को, लघु कृषक ऋण के अर्न्तगत केला, पपीता, हाईब्रीड टमाटर, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना ये अल्पकालीन ऋण के रूप में अधिकतम छः माह एवं एक वर्ष के लिए दिया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड वह अल्पकालीन ऋण है, जिसके माध्यम से कृषको को सस्ते ब्याज दर पर ऋण तथा खाद, बीज, हेतु सब्सिड़ी उपलब्ध कराया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व वाणिज्यिक बैंक, द्वारा क्रिर्यान्वित की जाती है।

सेवा सहकारी समिति के.सी.सी.

यह ऋण फसलो के आधार पर दी जाती है। खरीफ व रबी दोनो फसलो को अपने सीजन हेतु दिया जाता है। केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा ब्याज में सब्सिड़ी भी मिलती है। इसमे ब्याज का प्रतिशत कम होता है, यह राशि खेती करने के लिए दिया जाता है। फसल के अनुरूप राशि दी जाती है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित द्वारा किसानों को प्रदान किये जाने वाले ऋण का विवरण

फसल	भूमि	राशि (रूपये)	निश्चित समय अवधि ब्याज दर	अनिश्चित समय अवधि ब्याज दर
धान	प्रति एकड़	30,000	0 प्रतिशत	4 प्रतिशत
चना	प्रति एकड़	20,000	0 प्रतिशत	4 प्रतिशत

(स्त्रोतः जिला सहकारी क्रेन्द्रीय बैक मर्यादित दुर्ग छ.ग. का वार्षिक प्रतिवेदन 2021–2022 एवं 2022–23)

अन्य बैंक द्वारा किसानों को प्रदान किये जाने वाले ऋण का विवरण

फसल	भूमि	राशि (रूपये)	ब्याज दर
धान, चना	प्रति एकड़	50,000	11 प्रतिशत
गन्ना	प्रति एकड़	1,00,000	11 प्रतिशत
पपीता, केला	प्रति एकड़	1,00,000	11 प्रतिशत

(स्त्रोतः जिला सहकारी क्रेन्द्रीय बैक मर्यादित दुर्ग छ.ग. का वार्षिक प्रतिवेदन 2021–2022 एवं 2022–23)

किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत प्रदत्त ऋण

उद्यमिता	इकाई	राशि (रूपये)	निश्चित समय अवधि ब्याज दर	अनिश्चित समय अवधि ब्याज दर
गौपालन	एक दुधारू गाय	30,000	0 प्रतिशत	4 प्रतिशत
भैसपालन	एक दुधारू भैस	35,000	0 प्रतिशत	4 प्रतिशत
मत्स्यपालन	1 हेक्टेयर तालाब	15,0000	0 प्रतिशत	4 प्रतिशत
पोल्ट्री	100 ब्रायलर	10,000	0 प्रतिशत	4 प्रतिशत

(स्त्रोतः जिला सहकारी क्रेन्द्रीय बैक मर्यादित दुर्ग छ.ग. का वार्षिक प्रतिवेदन 2021–2022 एवं 2022–23)

मत्स्य पालन

प्रदेश में कृषि कार्य में मछली पालन को भी शामिल किया गया। यह व्यवसाय आय का अच्छा स्त्रोत है। मछली व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु ऋण का प्रावधान किया गया है। सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। इस व्यवसाय से जुड़े किसानो को रोजगार उपलब्ध हो और मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिले। राज्य

में 81 हजार 200 हेक्टेयर जल क्षेत्र मे मछली पालन किया जाता है। मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिलने से इस व्यवसाय से जुड़े लोगो को शुन्य प्रतिशत ब्याज पर सहकारी समिति ऋण उपलब्ध कराती है। कृषको की तरह इन्हे भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है।

गौ पालन

राज्य की आर्थिक व्यवस्था में कृषि और पशुपालन का विशेष महत्व है। पशुपालन न केवल अजीविका का आधार है, बल्कि यह रोजगार और आय का साधन भी है। खेतीहार किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सहकारी समितियों द्वारा किसानो को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पशुओ की संख्या बढ़ाने के लिए पशुपालको को प्रशिक्षित कर पशुओ की नस्ल में सुधार कर गौपालन में विकास करना है जिससे खेती करने वाले पशुपालको की आय का स्तर बढ़े और उनकी जीवन शैली ऊँचा हो सके। राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 159 ग्राम दूध की उपलब्धता है।

कुक्कुट पालन

मुर्गीपालन राज्य में रोजगार का साधन है। ग्रामीण क्षेत्र आदिम जनजाति समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से कुक्कुट पालन करते है। आदिवासियो की जीवन शैली में मुर्गियों का महत्व बहुत अधिक होता है। अधिकांश लोग मुर्गी पालन कर आंशिक रूप से निर्भर है। वर्तमान में कुक्कट पालन एक व्यवसाय के रूप में किया जाने वाला कार्य है। ब्रायलर खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार की जा सकती है, इससे किसान को आय और रोजगार प्राप्त होती है।

2. मध्यावधि कृषि ऋण

मध्यकालीन ऋण कृषि उत्पादन क्षमता व उत्पादन साधनो को बनाये रखने हेतु दिया जाता है। यह ऋण 18 माह से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है, इस ऋण का उपयोग कृषि उपकरण, जल संग्रहण, लघु उद्योग, भूमि सुधार, के लिए दिया जाता है, मध्यकालीन ऋण के अंतर्गत दिया जाता है।

लघु उद्योग ऋण (मिनी राईस मील)

ग्रामीण क्षेत्र में धान प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु सहकारी समिति द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लघु उद्योग ऋण राज्य शासन द्वारा माईक्रोमेनेजमेन्ट प्लान योजना के तहत किसानों को 25 प्रतिशत तक अनुदान देकर कृषि यंत्रीकीकरण को प्रोत्साहित करता है।

भू–जल उद्वहन सिंचाई ऋण

यह योजना किसानों की सिंचाई संबंधित समस्या को दूर करने हेतु कृषको को प्रति हेक्टयेर के हिसाब से प्रदान की जाती है। लघु उद्वहन सिंचाई ऋण प्रति 40 हेक्टयेर में 55000, मध्यम उद्वहन 41 से 250 हेक्ट. 65300, दीर्घावधि उद्वहन 250 हेक्टयर 66500 रूपये तक निर्धारित किया गया है।

एकीकृत ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास अभिकरण के अंतर्गत फार्म सेक्टर, नान फार्म सेक्टर को दी जाती है। यह ऋण ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक कृषि कार्य के लिए दिया जाता है जिससे कि गाँव में रहने वाले लोगो का विकास हो सके।

लघु एवं सीमान्त कृषको को ऋण

मध्यकालीन ऋण लघु एवं सीमान्त किसानो को 8 वर्ष के लिए दिया जाता है। सिंचाई एवं ग्रामीण विकास अभिकरण कृषि विभाग के द्वारा दिया जाता है।

योजनाबद्ध वित्तपोषक विकास परियोजना

यह योजना वित्त मध्यकालीन ऋण हेतु स्वीकृत किया गया है। योजना मे शामिल इकाईयाँ लघु सिंचाई, भूमि

विकास, लगान खेती, बगान एवं कृषि उद्यान, डेयरी विकास, मुर्गीपालन, कृषि से संबंधित विभिन्न गतिविधियां पान एवं कुन्दरू की खेती, मछली पालन, फार्म फारेस्टरी, पशुचारा की खेती, औषधि की खेती स्वीकृत की जाती है।

3. दीर्घावधि ऋण

कृषको को अल्प एवं मध्यकालीन के साथ दीर्घकालीन ऋण की भी जरूरत होता है। खेती हेतु किसानों को दो प्रकार के फसली ऋण सहकारी साख से प्रदान करता है जिसमे अल्पकालीन ऋण व दीर्घकालीन ऋण होता है। दीर्घकालीन ऋण वह ऋण है जो पांच वर्ष से अधिक अवधि हेतु दिया जाता है। कभी–कभी किसान अपना ऋण भुगतान करने में असमर्थ हो जाने के कारण सरकार की ओर से ऐसे ऋणों पर ब्याज ऋण माफी का लाभ किसानों को दिया जाता। यह ऋण कृषि मशीनरी खरीदने, भूमि स्थायी सुधार के लिए, पुराने कर्जो का भुगतान करने के लिए दिया जाता है। सहकारी समितियों द्वारा दीर्घकालीन ब्याज की दर कम होता है।

निष्कर्ष

राज्य में सहकारी समितियों द्वारा मिलने वाली सहयोग राशि कृषकों के विकास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना साख–वित्त के कृषकों का विकास नहीं हो सकता है। सहकारी समितियां और सरकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को ऋण दिया जाता है। इसके माध्यम से किसानों को शुन्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार कर कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए संस्थाएं कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं। सहकारिता के माध्यम से कृषकों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि व गैर–कृषि दोनों क्षेत्रों मे ऋण दिया जा रहा हैं। इससे लोगो की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। सहकारिता के माध्यम से फसल उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि के लिए ऋण की आवश्यकता पूरी हो रही है। किसानों को इन संस्थाओं का भरपूर लाभ मिल सके इसके लिए फसल ऋण वितरण को सरकार द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

संदर्भ सूची

1. संस्थागत वित्त एवं विनियोजन 2020–21।
2. जिला सहकारी क्रेन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग छत्तीसगढ़ 2022–2023।
3. जिला सहकारी क्रेन्द्रीय बैक मर्यादित दुर्ग छत्तीसगढ़ वार्षिक प्रतिवेदन 2021–2022।
4. छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि नीति।
5. दूबे आशीष : *International Journal Review and Research in Social Sciences* 2014 ; 2(2) 118-120
6. सोमनाथे पदमा : *International Journal fo Advances in Social Sciences* 2021 ;9 (3)129-2
7. सोंधिया राखी : *International Journal fo Advances in Social Sciences* 2022 ; 10(4) 187-2
8. सरदाना रेनू एवं चौधरी मोनिषा : *Research J. Humanities and Social Sciences* 2013 ; 4(2) 250-253
9. पाण्डेय शशि, *International J.K. Advance in Social Sciences* 2016; 4(2) 64-68
10. https://ww.bhaskar.com
11. https://hi.vikaspedia.in

****